



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष, 1942 (श०)

संख्या- 666 राँची, मंगलवार,

29 दिसम्बर, 2020 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

28 दिसम्बर, 2020

विषय:-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा नई एवं उभरती तकनीक से प्रस्तावित Light House Projects के तहत राजधानी राँची में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लाभुकों के लिए आवासों के निर्माण के संबंध में।

संकल्प संख्या-03/न0प्र0नि0/PMAY/GHTC-India/174/2019-3337-- आवासन और शहरी कार्य मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा वर्ष 2022 तक पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) मिशन क्रियान्वित है। योजनान्तर्गत समयबद्ध तरीके से आवासों की कमी को दूर करने एवं 2022 तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवास निर्माण की पारम्परिक प्रणाली पर्याप्त नहीं है, फलतः नई तकनीकों की तलाश करने की आवश्यकता है। अतः इस संबंध में, MoHUA ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत 6 राज्यों में "ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया (GHTC-India)" लॉन्च किया है, जिसके अन्तर्गत नई तकनीक से Light House Project (LHP) के तहत आवास का निर्माण किया जाना है।

1. MoHUA द्वारा 6 राज्यों यथा उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, गुजरात, त्रिपुरा एवं तमिलनाडु को LHP के लिए चयन किया गया है। Light House Projects अन्तर्गत राँची में बहुमंजिलीय आवास के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है।
2. Light House Projects अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले आवासीय परिसर में कुल 1008 आवासों का निर्माण G+8 संरचना में किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 133.99 करोड़ रु. (प्रति आवास रु. 13.29 लाख लगभग) है। प्रसंगाधीन योजना हेतु केन्द्रांश, राज्यांश एवं लाभुक अंशदान निम्नवत् होंगे:-
 - 2.1. **केन्द्रांश:** 1.50 लाख (प्रति आवास) के अतिरिक्त **टेक्नोलॉजी इन्नोवेशन ग्रांट:** 4.00 लाख (प्रति आवास) या आवास की प्राक्कलित राशि का 40%, जो कम हो।
 - 2.2. **राज्यांश:** 1.00 लाख (प्रति आवास) एवं परियोजना हेतु आवश्यक भूमि। (वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या- 5382 दिनांक-02.11.2018 के तहत)।
 - 2.3. **लाभुक अंशदान:** कुल परियोजना लागत (प्रति आवास) की शेष राशि।
3. Light House Projects अन्तर्गत आवासीय इकाईयों का क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
4. पूर्व में राँची में Light House Project के निर्माण हेतु 5.70 एकड़ भूमि मौजा-बाजरा, थाना सं0-140, खाता सं0-113, प्लॉट सं0-485 प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी अन्तर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (SLSMC) की दिनांक: 05.02.2019 को सम्पन्न 14वीं बैठक में अनुमोदन दिया गया था। उक्त परियोजना स्थल तक निर्मित किए जाने वाले पहुँच पथ हेतु कुछ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिस हेतु राशि लगभग 11.50 करोड़ की आवश्यकता होगी एवं भूमि अधिग्रहण में समय भी लगेगा जिसमें चुनौतियाँ हैं। अतः उक्त परियोजना स्थल को किसी अन्य स्थान पर परिवर्तित करने की आवश्यकता है।
5. उक्त के आलोक में भारत सरकार की अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना Light House Project को ससमय पूर्ण करने हेतु निम्न प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
 - i. HEC, राँची द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को कुल 306.86 एकड़ भूमि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संकल्प संख्या-487, दिनांक-23.01.2018 के तहत हस्तांतरित किया जाना है, जो प्रक्रियाधीन है। उक्त हस्तांतरित की जाने वाली भूमि के सीमांकन के क्रम में आनि मौजा के खाता सं0-24, प्लॉट सं0-710, खाता सं0-11, प्लॉट सं0-711, 712, 713 एवं 715 तथा खाता सं0-61, प्लॉट सं0-714 एवं खाता सं0-04, प्लॉट सं0-730 का सीमांकन किया गया। सीमांकन के क्रम में कुल-5.85 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त पाया गया। अतः HEC, राँची के आनि मौजा अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित अतिक्रमण मुक्त भूमि (कुल रकबा-5.85 एकड़) पर LHP के तहत आवासों का निर्माण कराया जा सकता है।

- ii. LHP योजना के लाभुकों का चयन विभागीय संकल्प संख्या-5382, दिनांक-02.11.2018 एवं संशोधित SOP के आधार पर किया जाना है। विदित हो कि राज्य स्तर पर किफायती आवास परियोजना के तहत निर्मित होने वाले आवासों में अधिकतम लाभुक अंशदान 4.56 लाख है, वहीं LHP परियोजना हेतु अधिकतम लाभुक अंशदान 6.79 लाख है। अतः राँची नगर निगम द्वारा विशेष कैम्प/विज्ञापन/प्रचार-प्रसार करते हुए लाभुकों का चयन जल्द से जल्द किया जा सकता है।
- iii. LHP के मार्गदर्शिका के अनुसार परियोजना राशि का लाभुक अंशदान एवं राज्यांश भारत सरकार के उपक्रम Building Material Technology Promotion Council (BMTPC) को अग्रिम (Installment) में देना होगा। विदित हो कि परियोजना राशि का प्रथम किश्त (40%), द्वितीय किश्त (40%) एवं तृतीय किश्त (20%) की राशि भारत सरकार के उपक्रम Building Material Technology Promotion Council (BMTPC) को हस्तांतरित की जाएगी। अतः प्रस्ताव है कि लाभुक अंशदान की राशि का भुगतान भारत सरकार के उपक्रम BMTPC को तब तक नहीं किया जा सकता जब तक LHP Project हेतु लाभुकों का चयन नहीं कर लिया जाय। लाभुकों के चयन के पश्चात् ही प्राप्त लाभुक अंशदान (किश्तों में) के आधार पर BMTPC को इसका भुगतान किया जा सकता है।
- iv. भारत सरकार के मार्गदर्शिका एवं दिशा-निर्देश के आलोक में राज्यांश के प्रथम किश्त (40%) की राशि रु. 4.03 करोड़ का अग्रिम PMAY(U) के उपलब्ध राज्यांश मद से भारत सरकार के उपक्रम BMTPC को दिया जा सकता है।

प्रक्षेत्र	बजट शीर्ष
TSP	मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघु शीर्ष-796 जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष- 89-प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) हेतु अनुदान (राज्यांश)- विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य(गैर-वेतन)-48S221780796890679

- v. LHP हेतु उक्त प्रस्तावित भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र भारत सरकार के उपक्रम Building Material Technology Promotion Council (BMTPC) को आवास निर्माण हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।
- vi. विभागीय संकल्प संख्या-487, दिनांक-23.01.2018 की कंडिका-5 के तहत "मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, द्वारा रु. 75,30,00,000/- (पचहत्तर करोड़ तीस लाख रु०) मात्र की राशि प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है" एवं संकल्प की कंडिका-9 के तहत "अतिक्रमणकारियों को बसायी जाने वाली भूमि को नगर विकास एवं आवास विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किया जाएगा, जिसके लिए HEC को किसी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। अतिक्रमणमुक्त करायी गयी शेष भूमि

के नगर विकास एवं आवास विभाग के पक्ष में हस्तांतरण तथा उक्त भूमि का विधिवत् दखल-कब्जा प्राप्त करने के उपरांत अनुपातिक अनुमान्य राशि HEC को हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जाएगी" उक्त के आलोक में भारी उद्योग एवं लोक उद्यम, भारत सरकार के मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के पत्रांक-7-05/02/2019/PES के तहत HEC के 306.86 एकड़ भूमि को झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित करने के एवज में 48.97 करोड़ देने का निर्णय प्राप्त है। जिसका आवंटन राज्य योजना मद के "शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहाय्य अनुदान मद" के बजट शीर्ष से किया जाना है। बजट विवरणी निम्नवत् है:-

प्रक्षेत्र	बजट शीर्ष
TSP	मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-56-शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहाय्य अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान-79- सहायता अनुदान सामान्य(गैर-वेतन)-48S221780796560679
OSP	मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघु शीर्ष-191- नगर निगम को सहायता-उपशीर्ष-56-शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहाय्य अनुदान-विस्तृत शीर्ष- 06 अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य(गैर-वेतन)-48S221780191560679

6. उपरोक्त पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक: 23.12.2020 की बैठक में मद संख्या-63 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

यह संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
